कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश

मोतीमहल::ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 16/4/96

क्रमांक/रसायन शाला./14

प्रति,

समस्त उपायुक्त, आबकारी, मध्यप्रदेश
समस्त जिला आबकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश
प्रभारी आबकारी अधिकारी (आसवनी)
---------------(म0प्र0)

विषय:- आसवनियों में विनिर्मित प्रासव का रासायनिक परीक्षण।

-----0-----

आसवनियों में विनिर्मित प्रासव (स्पिरिट) की गुणवत्ता सुनिश्चित
करने के लिए यह आवश्यक है कि आसवनियों में विनिर्मित स्पिरिट का नियमानुसार
नियमित रूप से रासायनिक परीक्षण कराया जाय। इस संबंध में म.प्र. आसवनी
नियम 1995 में आवश्यक प्रावधान किये गये है। नियमों में यह भी प्रावधान है
कि यदि आसवनी किसी कारण से बंद हो जाती है तो उसके पुन: चालू होने पर
उसमें निर्मित प्रासव का रासायनिक परीक्षण हर बार अनिवार्य रूप से कराया
जाय। इसी प्रकार आसवनी में आसवन निर्माण के बेस में परिवर्तन होने पर नये
बेस से निर्मित प्रासव का भी रासायनिक परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

2- म.प्र. आसवनी नियम 1995 के नियम 4 के उपनियम (3) के अनुसार
आसवनी का अनुज्ञप्तिधारी आसवनी परिसर के भीतर अपनी स्वयं की प्रयोगशाला
स्थापित करेगा जो अर्हित तकनीकी कार्मिक से पूर्ण सज्जित और रक्षित होगी तथा
इस प्रयोगशाला में आसवनी में विनिर्मित स्पिरिट का नियमित रूप से रासायनिक
परीक्षण किया जायेगा। आबकारी आयुक्त के कार्यालय में भी एक स्वतंत्र प्रयोगशाला
स्थापित की गई है तथा आसवनियों में विनिर्मित स्पिरिट (प्रासव) की गुणवत्ता
सुनिश्चित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि इस प्रयोगशाला में प्रत्येक
आसवनी में विनिर्मित प्रासव का तीन माह में कम से कम एक बार रासायनिक परी-
क्षण किया जाय। अत: निर्देश दिये जाते है कि प्रदेश में स्थित समस्त आसवनियों के
प्रभारी आबकारी प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार तथा उक्त अवसरों पर
विनिर्मित प्रासव के नमूने रासायनिक परीक्षण हेतु मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला को
भेजेंगे। रासायनिक परीक्षण के लिए स्पिरिट के नमूने लेते समय निम्न निर्देशों का
पालन किया जाय:-

(1) स्पिरिट के नमूने आसवनी अधिकारी स्वयं निकाले तथा नमूने निकालते समय उसमें अन्य कोई पदार्थ न मिलाया जाय ।

(2) स्पिरिट के ~~6~~ 3 नमूने सील किये जाए, एक नमूना रासायनिक परीक्षण हेतु मुख्यालय को भेजा जावे, दूसरा नमूना आसवनी अधिकारी द्वारा ताले में बंद कर अपने कार्यालय में परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने तक सावधानी पूर्वक रखा जाय, तथा तीसरा नमूना आसवक को दिया जावे और उसकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त की जाए ।

(3) रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे जाने वाला नमूना किस प्रेषण अथवा कुण्ड (संग्रह कुण्ड, निर्गम कुण्ड, स्टाक अथवा आसव कुण्ड) से प्राप्त किया गया है, उसका विवरण बताते हुये प्रत्येक नमूने पर एक लेबल चिपकाया जाय जिसमें आबकारी अधिकारी यह भी लिखेंगें कि उन्होने अपने समक्ष अमुक दिनांक को नमूना लिया ।

(4) नमूनो को भारसाधक अधिकारी द्वारा सीलबंद किया जायेगा तथा नमूनो के लेबल पर हस्ताक्षर किए जाकर तारीख अंकित की जायगी ।

उक्त निर्देशो का निष्ठापूर्वक कड़ाई से पालन किया जाये । उक्तानुसार आदेशित मुख्यालय स्थित प्रयोगशाला में परीक्षण की व्यवस्था के अतिरिक्त आसवनियो में स्थित प्रयोगशालाओं में स्पिरिट का रासायनिक परीक्षण पूर्वानुसार नियमितरूप से किया जाता रहे ।

आबकारी आयुक्त
मध्यप्रदेश

क्रमांक /रसायन शाला/ 15 ग्वालियर, दिनांक 16/4/96

<u>प्रतिलिपि</u> :-

समस्त प्रभारी अधिकारी, मुख्यालय ग्वालियर की ओर सूचनार्थ ।

15.4.96

सहायक आबकारी आयुक्त
मध्य प्रदेश.